पुनर्विलोकन आवेदन प्रकरण संख्या 01/2022 (GCMS 2022/252) **हरीप्रकाश** पुत्र खण्डूराम जाति ओड, निवासी 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. **राजस्थान सरकार** जरिये तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर 2. **मेहरचन्द** पुत्र जयलाल नागपाल जाति अरोड़ा निवासी श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.01.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री रामेश्वर लाल सुथार एवं राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर उपस्थित हुए। बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि चक 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नम्बर 182/385 के किला नम्बर 3 ता 8 11 ता 25 सालम–सालम व किला नं. 9 की 0.10 बिस्वा कुल 21.10 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी को आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त, रायसिंहनगर मुकाम सूरतगढ द्वारा दिनांक 30.11.1976 को आवंटित की गई थी। जिस पर आवंटन के रोज से आज तक प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि अनावेदक संख्या 2 द्वारा आवेदक के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायाधीश श्रीविजयनगर के न्यायालय में एक सिविल वाद संख्या 62/91 अनवानी मेहरचन्द बनाम हरीप्रकाश आदि संस्थित किया गाय था, जिसके साथ स्थगन आवेदन प्रकरण संख्या 44/91 अनवानी मेहरचंद बनाम हरीप्रकाश भी जैरकार था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.1991 को मौका पर स्थित यथावत रखने जाने का आदेश पारित किया गया था तथा दिनांक 23.07.1972 को दोनों पक्षकारान को प्रार्थना पत्र के निपटारे तक विवादग्रस्त भूमि को हस्तान्तरण नहीं करने व मौका की स्थिति बनाए रखने बाबत पाबन्द किया गया तथा दिनांक 20.08.1998 को स्थगन आवेदन प्रकरण में निर्णय पारित कर मूल वाद के निस्तारण तक उक्त वाद ग्रस्त भूमि 5.00 बीघा की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:34:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि अनावेदक संख्या 02 द्वारा तत्कालीन जिला कलक्टर के समक्ष सिविल वाद व स्थगन आदेश के तथ्यों को छुपकर उक्त 5.00 बीघा भूमि की सनद खातेदारी जारी किए जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में स्थगन आदेश का अंकन होने के बावजूद भी अनावेदक संख्या 1 से मिलीभगत कर सनद खातेदारी प्रस्ताव बनवा कर श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 30.11.1996 को उक्त 5.00 बीघा कृषि भूमि की सनद खातेदारी संख्या 078151 जारी करवा ली। उक्त सनद संख्या 078151 व सम्बन्धित सनद प्रस्ताव बाबत जारी किए जाने सनद, स्थगन अवधि में आवंटी के अधिकारों के विपरीत, गलत व्यक्ति द्वारा फर्जी तथ्य पेश कर नियम विरूद्ध जारी सनद के आदेश को निरस्त कर, उचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर ने कथन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2) के तहत 90 दिवस में पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु प्रार्थी ने वर्तमान पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र लगभग 25 वर्ष बाद पेश किया है। इसलिए प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र एडमिशन के स्तर पर खारिज करने योग्य है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र उसके नाम से आवंटित चक 7 जे.के.एम. [illegible] 182/385 के किला नंम्बर 3 ता 8, 11 ता 25 [illegible] बीघा कुल 21.10 बीघा भूमि में से गैर ख[illegible] 21 ता 25 की 5.00 बीघा भूमि पर माननीय न्यायालय के स्थगन अवधि के दौरान जारी सनद संख्या 078151 दिनांक 30.11.1996 को निरस्त कर पुनर्विलोकन किये जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:34:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि उक्त सनद संख्या 078151 दिनांक 30.11.1996 के अनुसार आवंटित भूमि प्रार्थी हरीप्रकाश के नाम है और उसी के नाम से सनद संख्या 078151 दिनांक 30.11.1996 को जारी की गई है। प्रार्थी ने यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सनद जारी दिनांक 30.11.1996 के लगभग 25 वर्ष पश्चात पेश किया है जबकि **राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2) के तहत निजी व्यक्तियों के बीच अधिकारों को प्रभावित करने वाले आदेश की समीक्षा 90 दिवस के भीतर–भीतर ही की जा सकती है।** इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलम्ब से पेश करने के कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना मियाद के बिन्दु पर खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र एडमिशन के बिन्दु पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नग्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:34:19 IST
Reason: SelfAttested